न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –26 / 2022

दायर दिनांक –10.02.2022

निर्णय दिनांक –20.05.2022

जीसीएमएस नं0 –2022 / 51

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री शंकरलाल पुत्र श्री रामदीन जाट निवासी कड़ैल तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति– 1. श्री एस0के0 चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी,
2.पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम मझेवला तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं0 107 में प्रार्थी के हिस्से की दुरूस्ती एवं खाता सं0 105 में प्रार्थी के नाम खातेदारी इन्द्राज कर दुरूस्ती किये जाने हेतु प्रस्तुत किया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, पुष्कर को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार [illegible] पत्र क्रमांक / तह. पुष्कर / कोर्ट / 2022 / 1201 दिनांक 02.05.2022 [illegible] न्यायालय में उपस्थित होकर बिन्दुवार प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि "[illegible] मझेवला की जमाबन्दी संवत् 2041 के खाता संख्या 39 में नामा. सं. 336 [illegible] से ख.नं. 892 रकबा [illegible] बीघा 02 बिस्वा पर नारायणसिंह पुत्र भीमसिंह हि. 1 / 4 कौम राजपूत व शंकरलाल, लक्ष्मणराम पि. रामदीन हि. 3 / 4 ब.हि.ब कौम जाट सा. देह खातेदार का नाम दर्ज है। नामा. सं. 85

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:13:50 IST
Reason: SelfAttested

20.5.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

दिनांक 17.02.04 से नारायणसिंह पुत्र भीमसिंह की विरासत हेमकंवर पत्नी नारायणसिंह, हुकमसिंह, टीकमसिंह पि. नारायणसिंह के नाम दर्ज हुयी। नामा. सं. 86 दिनांक 10.3.04 बेचान से ख.नं. 892 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा पर हेमकंवर पत्नी नारायणसिंह, हुकमसिंह, टीकमसिंह पि. नारायणसिंह के हिस्से पर शंकरलाल पुत्र रामदीन जाति जाट के नाम अंकन दर्ज हुआ। इस प्रकार वर्किंग ख.नं. 892 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा पर शंकरलाल पुत्र रामदीन का हिस्सा 5/8 व लक्ष्मणराम पुत्र रामदीन का हिस्सा 3/8 बनता है। वर्किंग ख.नं. 892 के वर्तमान ख.नं. 74, 75, 74/576, 74/577 बने है एवं वर्किंग ख.नं. 889 मिन के हाल ख.नं. 51 रकबा 1.75 हैक्ट. व खसरा नं0 51/549 रकबा 0.04 हैक्ट. बने है। लक्ष्मणसिंह पुत्र भीमसिंह द्वारा वर्किंग ख.नं. 889 मि. रकबा 10 बिस्वा **नामा. सं. 84 दिनांक 17.02.04** द्वारा शंकरलाल पुत्र रामदीन को बेचान करने से हाल ख.नं. 51/549 रकबा 0.08 हैक्ट. क्रेता **शंकरलाल पुत्र रामदीन जाति जाट के नाम वर्तमान जामबन्दी के खाता संख्या 128 में दर्ज है। अर्थात क्रेता के नाम ही दर्ज है।** ख.नं. 74, 75, 74/576, 74/577 खाता संख्या 107 जमाबन्दी संवत् 2071–74 में दर्ज समस्त खातेदारों– इन्द्राकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह हिस्सा 3/64, मानकंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह हिस्सा 3/64, विक्रमसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह हिस्सा 3/64, सीमाकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह हिस्सा 3/64, शंकरलाल पुत्र रामदीन हिस्सा 13/32, लक्ष्मणराम पुत्र रामदीन हिस्सा 13/32 के स्थान पर वर्किंग नामा. सं. 336 दिनांक 07.04.99 व नामा. सं. 86 दिनांक 10.3.04 के अनुसार शंकरलाल पुत्र रामदीन हिस्सा 5/8, लक्ष्मणराम पुत्र रामदीन हिस्सा 3/8 जाति जाट सा. देह खातेदार का अंकन किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम मंझेवला तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं0 107 में प्रार्थी के हिस्से की दुरूस्ती न्यायहित में उचित प्रतीत होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:13:50 IST
Reason: SelfAttested

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है ग्राम मंझेवला तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं0 107

20.5.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

में खातेदार इन्द्राकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह हिस्सा 3/64, मानकंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह हिस्सा 3/64, विक्रमसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह हिस्सा 3/64, सीमाकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह हिस्सा 3/64, शंकरलाल पुत्र रामदीन हिस्सा 13/32, लक्ष्मणराम पुत्र रामदीन हिस्सा 13/32 के स्थान पर वर्किंग नामा. सं. 336 दिनांक 07.04.1999 व नामा. सं. 86 दिनांक 10.03.04 के अनुसार शंकरलाल पुत्र रामदीन हिस्सा 5/8, लक्ष्मणराम पुत्र रामदीन हिस्सा 3/8 जाति जाट सा. देह का हिस्सा दुरूस्त किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

20.5.22

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:13:50 IST
Reason: SelfAttested